भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. 4569

दिनांक 23 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

**परती भूमि को पुनः प्राप्त करना**

**4569. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
**श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):**
**श्री विनोद कुमार सोनकर:**
**डॉ. जयंत कुमार राय:**
**डॉ. सुकान्त मजूमदार:**
**श्री भोला सिंह:**
**श्री निशीथ प्रामाणिक:**
**श्री राजा अमरेश्वर नाईक:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों की कटाई, असंवहनीय कृषि प्रथाओं और अत्यधिक भूजल निष्कर्षण आदि के कारण देश की 35 प्रतिशत भूमि परती हो गई है/भूमि का अपरदन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो परती भूमि के विस्तार का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय की परती भूमि को उपजाऊ बनाने/पुनः प्राप्त करने के लिए कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि स्वीकृत की गई है और कितना कार्य किया गया है;

(ङ) क्या देश सतत् विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वर्ष 2030 तक परती भूमि को शून्य करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

(क) से (छ): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश का लगभग 120.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र विभिन्न प्रकार के भूमि अवक्रमण से प्रभावित है, जिनमें जल क्षरण (82.6 मिलियन हेक्टेयर), पवन क्षरण (12.0 मिलियन हेक्टेयर), रासायनिक अवक्रमण (24.8 मिलियन हेक्टेयर) और भौतिक अवक्रमण (1.0 मिलियन हेक्टेयर) शामिल हैं।

आईसीएआर ने देश में समस्याग्रस्त मृदाओं के लिए सुधार प्रौद्योगिकी, पवन क्षरण रोकने के लिए मिट्टी टीला स्थिरीकरण और शेल्टर बेल्ट प्रौद्योगिकी और वर्षा जल बहाव के कारण मृदा क्षरण रोकने के लिए कई स्थान विशिष्ट बायो-इंजीनियरिंग उपाय विकसित किए हैं।

भूमि संसाधन विभाग ने पूर्ववर्ती एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी) के तहत 2009-10 से 2014-15 के दौरान 28 राज्यों में (गोवा को छोड़कर) [अब 27 राज्य और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र] लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। तदनुसार, 2015-16 में एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी) को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के रूप में मिला दिया गया था। कुल 1832 परियोजनाओं (शुरू नहीं की गई 345 परियोजनाएं और तैयारी चरण की 1487 परियोजनाएं) को 2018 में राज्यों को उनके राज्य बजट से कार्यान्वित करने के लिए हस्तांतरित किया गया। भूमि संसाधन विभाग का लक्ष्य 6382 परियोजनाओं को पूरा करना है। भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्तपोषित की जा रहीं 6382 स्वीकृत परियोजनाओं में से 4769 परियोजनाओं के पूरा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, 409 परियोजनाएं समेकन चरण में हैं और 1204 परियोजनाएं कार्य चरण में हैं (28.02.2021 की स्थिति के अनुसार)।

वाटरशेड विकास परियोजनाओं के जरिए किए जा रहे कार्यकलापों में, अन्य के साथ-साथ रिज क्षेत्र निरूपण, जल निकास लाइन निरूपण, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, वनीकरण, बागवानी, चारागाह विकास, सम्पत्तिहीन लोगों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (28 फरवरी, 2018 तक) के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, इन परियोजनाओं में शामिल क्षेत्र तथा केन्द्र के हिस्से के रूप में जारी निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, जैसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पीएमकेएसवाई के 'हर बूंद से अधिक फसल' घटक जैसी स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं जिनमें अन्य कार्यकलापों के साथ-साथ जल संरक्षण, सूखा रोधन, जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण, आदि शामिल हैं जो डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत किए गए उपायों के पूरक और संपूरक हैं।

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अवक्रमित वन क्षेत्र के पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडीए), वन मंडल स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफडीए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के विकेन्द्रीकृत तंत्र के माध्यम से किया जा रहा है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 76957 हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार करने के लिए राज्यों को 237.80 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, एनएपी स्कीम के तहत अनुमोदित क्षेत्र और जारी निधि का राज्यवार/वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने सभी संगत मंत्रालयों/विभागों के सहयोग और समन्वित प्रयासों से 2030 तक भूमि अवक्रमण निरपेक्षता (एलडीएन) लाने की दिशा में काम करने की वचनवद्धता की घोषणा की है।

**लोक सभा में दिनांक 23.03.2021 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4569 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I**

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) परियोजनाओं की संख्या, इन परियोजनाओं में शामिल क्षेत्र और केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(क्षेत्रफल मिलियन हेक्यटेयर में, राशि करोड़ रूपये में)

| क्र सं. | राज्य | स्वीकृत (2009-10 से 2014-15 तक)@ | | जारी केंद्रीय हिस्सा | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परियोजनाओं की कुल संख्या | परियोजनाओं का क्षेत्रफल | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 (28.02.2021 की स्थिति के |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 432 | 1.810 | 123.35 | 139.15 | 144.39 | 43.89 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 156 | 0.467 | 9.62 | 19.17 | 55.71 | 5.80 |
| 3 | असम | 372 | 1.577 | 65.09 | 66.55 | 49.03 | 169.26 |
| 4 | बिहार | 123 | 0.612 | 19.21 | 46.77 | 88.37 | 0.00 |
| 5 | छत्तीसगढ | 263 | 1.195 | 33.45 | 57.03 | 47.07 | 0.00 |
| 6 | गुजरात | 610 | 3.103 | 87.51 | 151.84 | 77.93 | 0.00 |
| 7 | हरियाणा | 88 | 0.362 | 10.94 | 10.00 | 7.13 | 13.68 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 163 | 0.840 | 26.83 | 24.04 | 66.87 | 0.00 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर * | 159 | 0.652 | 43.66 | 71.87 | 0.00 | 38.82 |
| 10 | झारखंड | 171 | 0.911 | 0.00 | 28.83 | 36.77 | 0.00 |
| 11 | कर्नाटक | 571 | 2.569 | 175.69 | 101.07 | 21.76 | 6.16 |
| 12 | केरल | 83 | 0.423 | 17.83 | 13.06 | 48.77 | 0.00 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 517 | 2.937 | 134.84 | 162.41 | 221.28 | 84.90 |
| 14 | महाराष्ट्र | 1186 | 5.128 | 279.21 | 163.33 | 103.00 | 0.00 |
| 15 | मणिपुर | 102 | 0.491 | 13.84 | 14.14 | 1.46 | 0.00 |
| 16 | मेघालय | 96 | 0.236 | 8.95 | 6.69 | 1.19 | 0.00 |
| 17 | मिजोरम | 89 | 0.373 | 22.35 | 23.14 | 22.27 | 0.00 |
| 18 | नगालैंड | 111 | 0.476 | 32.08 | 38.51 | 137.55 | 3.53 |
| 19 | ओडिशा | 310 | 1.700 | 94.48 | 102.17 | 83.11 | 1.75 |
| 20 | पंजाब | 67 | 0.314 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | राजस्थान | 1025 | 5.764 | 243.59 | 299.00 | 119.43 | 449.90 |
| 22 | सिक्किम | 15 | 0.066 | 1.40 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 23 | तमिलनाडु | 270 | 1.368 | 82.75 | 90.59 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | तेलंगाना | 330 | 1.399 | 51.14 | 81.93 | 33.50 | 60.34 |
| 25 | त्रिपुरा | 65 | 0.213 | 16.66 | 15.89 | 10.75 | 11.74 |
| 26 | उत्तराखंड | 65 | 0.346 | 9.97 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 612 | 3.045 | 63.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 163 | 0.693 | 15.48 | 46.39 | 92.87 | 0.00 |
| | **कुल** | **8214** | **39.07** | **1691.81** | **1780.55** | **1472.33** | **889.77** |

@ पूर्ववर्ती एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), जिसे 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) में मिला दिया गया था, के तहत स्वीकृत।

*जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को अभी हाल ही में संघ राज्य/क्षेत्र के तौर पर बनाया गया है।

नोट: गोवा में कोई स्वीकृत परियोजना नहीं है।

**लोक सभा में दिनांक 23.03.2021 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4569 के भाग (क) और (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II**

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के तहत जारी निधियों और अनुमोदित अग्रिम कार्य क्षेत्र की संख्या का राज्य-वार विवरण

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में और रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य | जारी की गई राशि | | | | अनुमोदित अग्रिम कार्य क्षेत्र | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3.36 | 6.38 | | | 1487 | 1480 | | |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0.86 | | | | 1010 | | | |
| 3 | असम | | 0.58 | | | | 373 | | |
| 4 | बिहार | 4.23 | | 1.18 | 0.80 | 2450 | 1550 | 1935 | |
| 5 | छत्तीसगढ | 10.86 | 7.82 | 5.71 | 9.88 | 2983 | 2000 | 3500 | |
| 6 | गोवा | | | | | | | | |
| 7 | गुजरात | | | | | | | | |
| 8 | हरियाणा | 2.71 | | | | | | | |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1.73 | 2.92 | 0.52 | 0.57 | 2139 | | 45 | |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 7.20 | | | | 2128 | | | |
| 11 | झारखंड | | | | | | | | |
| 12 | कर्नाटक | 3.24 | 10.99 | | | 2095 | 6085 | | |
| 13 | केरल | | | | | | | | |
| 14 | मध्य प्रदेश | 8.74 | 7.78 | | 0.57 | 5255 | | | |
| 15 | महाराष्ट्र | 6.73 | 15.33 | | | 4150 | | | |
| 16 | मणिपुर | 3.20 | 4.38 | | | 1733 | | | |
| 17 | मेघालय | 1.65 | 0.74 | | | | | | |
| 18 | मिजोरम | 5.80 | 7.79 | | 7.40 | 1750 | 1960 | | |
| 19 | नगालैंड | 5.85 | 6.41 | 2.35 | 4.27 | 2085 | | 6100 | |
| 20 | ओडिशा | 3.49 | 11.36 | 8.45 | 13.67 | 4565 | 3188 | 6335 | |
| 21 | पंजाब | | | | | | | | |
| 22 | राजस्थान | 1.40 | 1.95 | | | 1400 | | | 750 |
| 23 | सिक्किम | | 5.98 | | 0.88 | | | | |
| 24 | तमिलनाडु | | 2.07 | | | | | | |
| 25 | तेलंगाना | | | | | | | | |
| 26 | त्रिपुरा | 4.94 | | 3.76 | 1.33 | 1835 | | 1809 | |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 0.67 | 0.32 | | | | | | |
| 28 | उत्तराखंड | 3.36 | 2.58 | | 1.06 | 2782 | | | |
| 29 | पश्चिम बंगाल | | | | | | | | |
| | **कुल** | **80.02** | **95.38** | **21.97** | **40.43** | **39847** | **16636** | **19724** | **750** |

स्रोत: राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

*****